Children working in Tea Gardens

1858. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the estimated number of children working in tea gardens in different states;

(b) on what basis this data is collected; and

(c) what steps have been taken and are being taken by Government for the education, training and welfare of these children?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A SANGMA): (a) While authentic data is available in the Decennial Census regarding total number of child labourers in the country, there is no separate industry-wise break up of the child labour population.

(b) Does not arise.

(c) No specific steps have been taken up for the education, training and welfare of children working in tea gardens. However, the projects taken up under the National Child Labour Policy, Grants-in-Aids Scheme and the International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC) have education, vocational training and nutrition as essential inputs for children withdrawn from work.

Problems of Child Labour in Orissa

1859. SHRI GAYA SINGH: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Child labour problem especially in Orissa has assumed alarming proportions with the number of working children going up by a sharp 50 per cent over the last two decades; and

(b) if so, the details thereof and what action has been taken by Government to check this problem?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A SANGMA): (a) and (b) As per the 1971 and 1981 census report there were 4.92 lakhs and 7.02 lakhs child labour respectively in Orissa.

1991 Census figures are not yet published. The State Government has already been requested to draw up a strategy to combat this problem of child labour.

A National Child Labour Policy project has been started in Sambalpur district of Orissa for 3,000 child labourers withdrawn from Beedi industry. One Grants-in-Aid project and three International Programmes for the Elimination of Child Labour Projects have also been taken up in Orissa. For effective enforcement of laws relating to child labour, training of enforcement officers are being undertaken.

श्रम नीति

1860. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कोई श्रम नीति बनाने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस नीति की घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए० संगमा) : (क) से (ग) भारत सरकार की श्रम नीति संसद द्वारा समय-समय पर पारित कानूनों में दृष्टिगोचर होती है, जिसमें मुख्य रूप से औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य व सुरक्षा के क्षेत्र शामिल हैं, और असंगठित कामगारों के लाभ के लिए विशेष कानून हैं। ये कानून राष्ट्रीय स्तर

पर त्रिपक्षीय विचार-विमर्श और भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमयों द्वारा उत्पन्न सामान्य नीतिगत दृष्टिकोण के अनुसार जब कभी आवश्यक हो संशोधित किए जाते हैं।

बीड़ी कर्मकारों के लिये आवास योजना

1861. **मौलाना अबैदुल्लाखान आजमी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: कि :

(क) क्या यह सच है कि बीड़ी कर्मकारों के लिए आवास योजना पूर्ण रूप से सफल रही है और इसमें अब तक अत्यधिक प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस योजना के लिए बीड़ी कर्मकारों को पर्याप्त मात्रा में धन-राशि उपलब्ध कराई गई है ;

(ग) क्या बीड़ी कर्मकारों के लिए अब तक बन कर तैयार हो चुके आवासों की संख्या लाखों में हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) बीड़ी श्रमिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवासीय योजना के प्रति आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में बहुत अच्छी अनुक्रिया रही है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में यह थोड़ा कम रही है। अपना घर स्वयं बनाओ योजना के प्रति केरल राज्य में बहुत अच्छी अनुक्रिया रही है।

(ख) जी, हां। बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के अतर्गत बीड़ी श्रमिकों संबंधी विभिन्न आवासीय योजनाओं को सर्वाधिक प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है।

(ग) और (घ) बीड़ी श्रमिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवासीय योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित किए गए आवास-गृहों की संख्या निम्नानुसार है :—

1991–92	461
1992–93	4857
1993–94	4659

अपना घर स्वयं बनाओ योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूर किए गए आवास-गृहों की संख्या निम्नानुसार है :—

1991–92	576
1992–93	583
1993–94	1186

बीड़ी कर्मकारों के लिये भविष्य निधि योजना

1862. **मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीड़ी कर्मकारों के लिए शुरू की गई भविष्य निधि योजना सफल रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सभी बीड़ी कर्मकारों को इस योजना के अन्तर्गत लाया जा चुका है ;

(ग) क्या बीड़ी उद्योग के मालिक अपना पूरा अंशदान जमा करा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 12.22 लाख बीड़ी श्रमिकों की पहचान की गई है और उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत लाया गया है। क.भ.नि. संगठन पहले ही, अधिनियम के